केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00009
CICOM/R/P/20/00491

अपीलकर्ता : श्री विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव
711-बी, मोहद्दीपुर, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश - 273008.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.10.2020
केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.11.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.12.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. सीतारामा मूर्ति
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.12.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	19.01.2021
निर्णय की तारीख	27.01.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.10.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 में अपील सं. CIC/SBIND/A/2018/118537 की सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग तथा बिंदु सं. 2 में आवेदन के साथ संलग्न आवेदन शुल्क को नकदीकरण उपरान्त राजकोष में जमा करवाने की रसीद की मांग की गई थी ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM-R-P-20-00491-SC-232 दिनांक 03.12.2020 के माध्यम से अपीलकर्ता को निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई:-

> 'आयोग द्वारा सुनवाई की किसी भी प्रकार की रिकार्डिंग नहीं होती है तथा आयोग ने इस कार्य के लिए किसी को अधिकृत भी नहीं किया है" ।

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि बिंदु सं. 1 के तहत प्रदान की गई सूचना में CPIO ने अपने कथन की प्रमाणिकता के लिए साक्ष्य-स्वरूप विडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई केरने के प्रावधान की नियमावली संलग्न नहीं किया है तथा बिंदु सं. 2 के संदर्भ में आवेदन शुल्क के नकदीकरण के उपरांत राजकोष में जमा कराने की रसीद उपलब्ध नहीं करवाई गई है ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 2010..2020 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 10.11.2020 को

के. सू. आ.
RECEIVED
02 FEB 2021
D. No.......
Initials.......

O/C

प्राप्त हुआ तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समयावधि के अंदर ही दिनांक 03.12.2020 के पत्र के माध्यम से संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री आर. सीतारामा मूर्ति द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई है । श्री आर. सीतारामा मूर्ति द्वारा प्रेषित सूचना, अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरूप ही एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है । आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2 के संदर्भ में प्रथम अपील के निस्तारण हेतु आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री राम कुमार ने अपनी लिखित टिप्पणी में उल्लेख किया है कि "डाक विभाग द्वारा पोस्टल आर्डर जमा करवाने की कोई रसीद जारी नहीं की जाती है । पोस्टल आर्डर का पहला भाग ही रसीद के रूप में रखना होता है" । उक्त तथ्यों के अनुसार इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 27 जनवरी, 2021.

मीनाशर्मा 27.01.2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (DR to IC (SC)), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

2/2/21

2.2.21